न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/262

अब्दुल हमीद आत्मज श्री छोटू मोहम्मद उर्फ छोटू जी जाति नीलंगर मुसलमान निवीस ग्राम खजूरी (ओदपुर) तहसील सांगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. चांद मोहम्मद आत्मज श्री मोहम्मद हुसैन उर्फ हुसेना जाति नीलगर मुसलमान निवासी ग्राम खजूरी (ओदपुर) तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 17.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.04.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायलाय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खरनाखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 76 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 77 रकबा 0.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 78 रकबा 1.23 हैक्टर कुल 03 किता की रकबा 2.12 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवारदी कम 1 के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि है । उक्त भूमि जमबान्दी संवत् 2069–70 में मूल खातेदार छोटू पुत्र श्री ख्वाजू व प्रतिवादी कम 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी तथा सहखातेदार छोटू पुत्र ख्वाजू ने उक्त आराजी में निहित स्वयं का सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हिब्बानामा दिनांक 31.05.2011 से वादी के हक में हिबा कर कब्जा मौके पर वादी को संभला दिया तब से ही वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर वादी बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है । सेटलमेंट विभाग ने गलत रूप से वादग्रस्त आराजी को पडौसी काश्तकारों के खाते में दर्ज कर दी । पडौसी काश्तकारों द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया था जिसके निर्णय की पालना में तस्दीक इंतकाल नं0 129 दिनांक 10.04.2012 से खाते में तब्दीली होकर खसरा नम्बर 76 रकबा 0.32, खसरा नम्बर 78 रकबा 0.52 हैक्टर कुल 02 किता की 0.84 हैक्टर के बजाय खसरा नम्बर 80 की 0.84 हैक्टर आराजी दर्ज हो

गई है तथा इसकी एवज में खसरा नम्बर 76 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 78 रकबा 0.52 हैक्टर कुल 02 किता की 0.84 हैक्टर आराजी पडौसी क़ाश्तकारों के खाते में दर्ज हो गई है । सेटलमेंट विभाग ने वक्त सेटलमेंट नक्शा शीट में खसरा नम्बरान अदल–बदल अंकित कर दिये थे व न्यायालय आदेश से सेटेलमेंट त्रुटि दुरूस्ती कर राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन किया गया है जिसके कारण रजिस्टर्ड हिबानाम का रिकॉर्ड में अमल नहीं हो सका जबकि वादी रजिस्टर्ड हिबानाम से वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार बना है जिसे कानूनन अपने हिस्से की आराजी की घोषणा व विभाजन करवाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है ।

3. अतः बहक वादी व खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम खरकनाखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 77 रकबा 0.57 हैक्टर, खसरा नमरि 78 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नम्बर 80 रकबा 0.84 हैक्टर कुल 03 किता की 2.12 हैक्टर के 1/2 हिस्से का वादी को व 1/2 हिस्से का प्रतिवादी क्रम 1 को खातेदार घोषित किया जावे तथा पक्षकारान के मौके के विभाजन के मुताबिक खाते पृथक–पृथक किये जाकर लगान राज भी पृथक–पृथक दर्ज किया जावे । उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे ।

4. प्रतिवादी क्रम 1 ने इकबालिया जवाबदावा पेश किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.04.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.04.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी अपीलान्ट एवं प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खाते की है । उक्त भूमि वादी अपीलान्ट अपने को 1/2 हिस्से का शेष 1/2 हिस्से का प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 खातेदार घोषित करवाने, विभाजन करवाने, पृथक खाता एवं लगान कायम करवाने के अधिकारी हैं । प्रतिवादी क्रम 1 ने इकबालिया जवाबदावा पेश किया था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 12 नियम 06, आदेश 15 नियम 01 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार वादी का वाद डिक्री करना चाहिए था । वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार के अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हिबानामा के आधार पर वादी अपीलान्ट कानूनन वादग्रस्त आराजी का खातेदार हो गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.04.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से पैरवी करने हेतु श्री नरेश कुमार जी गौतम अभिभाषक को नियुक्त किया था । उनके वकील साहब ने प्रत्येक तारीख पेशी पर आने के लिए मना कर दिया और आवश्यकता होने पर सूचित करने के लिए कहा परन्तु उनके अभिभाषक द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई । वादी अपीलान्ट दिनांक 09.07.2015 को अपने वकील साहब से सम्पर्क किया तब उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई । जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय

हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा दावा बाबत् हक घोषणा का खारिज करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी ग्राम खरखना खेडी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है । आराजी वादी अपीलान्ट एवं प्रतिवादी कम 1 के शामलाती खाते में है । वादी अपीलान्ट ने अपने 1/2 हिस्से का स्वयं को खातेदार घोषित कराने के लिए दावा पेश किया था । दावे को शहादत से प्रमाणित भी कर दिया गया था । प्रतिवादी कम 1 ने इकबालिया जवाब पेश किया था । ऐसी स्थिति में वादी के दावे को डिक्री किया जाना चाहिए था । वादग्रस्त आराजी के खातेदार ने वादी अपीलान्ट के पक्ष में पंजीकृत हिब्बानामा निष्पादित किया था फिर भी दावा खारिज किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि पडौसी काश्तकार मोहन लाल, खेमराज, रमेशचन्द पिसरान कालू माली द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद के जरिये सेटलमेंट त्रुटि को दुरूस्त करने के लिए दावा पेश किया था उस कम में इन्द्राजात दुरूस्त हुआ है । निर्णय एवं डिक्री अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.04.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा हक घोषणा एवं विभाजन का दावा पेश किया गया है । पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 के अनुसार नया खाता संख्या 20 कुल 03 किता की 2.12 हैक्टर भूमि छोटू पुत्र ख्वाजू, चांदमोहम्मद पुत्र हुसैना मुसलमान नीलगर के संयुक्त खाते में दर्ज है और उसमें इंतकाल संख्या 129 दिनांक 10.04.2012 का नोट अंकित है जिसके अनुसार आराजी खसरा नम्बर 76 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 78 रकबा 0.52 हैक्टर कुल 02 किता की 0.84 हैक्टर आराजी के स्थान पर खसरा नम्बर 80 रकबा 0.84 हैक्टर भूमि खाते दर्ज करने के आदेश हुए । पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2067–2070 नया खाता संख्या 67 में कुल 04 किता की 2.49 हैक्टर भूमि मोहनलाल, खेमराज, रमेशचन्द पिसरान कालू लाल के संयुक्त खाते में दर्ज है और इसमें इंतकाल संख्या 129 का नोट अंकित है कि जिसके अनुसार खसरा नम्बर 80 रकबा 0.84 हैक्टर के स्थान पर खसरा नम्बर 76 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 78 रकबा 0.52 हैक्टर आराजी दर्ज खाता करने के आदेश होने का हवाला है । नकल नामान्तरकरण संख्या 129 भी पत्रावली में संलग्न है । इसके अलावा नक्शा ट्रेस की प्रति और दान पत्र की नोटेरी से प्रमाणित प्रति पत्रावली में संलग्न की गई है ।

12. पत्रावली में एक राजीनामा पेश किया गया है जो वादी और प्रतिवादी कम 1 के मध्य हुआ है। इस राजीनामे के अनुसार डिक्री पारित करने की प्रार्थना की गई है । इस राजीनामे को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तस्दीक नहीं किया गया है । साथ ही जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उनको भी प्रदर्शित नहीं करवाया गया है जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार इन दस्तावेजात को प्रदर्श करवाया जाना अनिवार्य है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.04.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान के द्वारा पेश किये गये राजीनामे को तस्दीक करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 28.08.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा